

पाद त्रैसाय काम लय से तलब की गई।
 शर्मा के शयना पर मूल पाद की बिड़ी मिया
 जा चुका है. अतः अब इस पत्रावली में अब
 कोई कसबिही अवेकिल नहीं है अतः दिनांक
 23.09.2021 की जारी अंतिम आग्राई
 निर्णयान खारिज की जाती है। पत्रावली
 फेसल शुमार होकर कारिख दफ्तर ही।

मिन्नाशम

9/12

13.12.23

13.12.23

ish
 (विष्णु बंसल)
 उपखण्ड अधिकारी
 नगर (डीग) राज०